सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0स0 24/2018 विविध राजस्व

1. गिर्राज सिंह (मृतक)

1/1– तारावती वेबा गिर्राज (मृतक)

1/2– हिम्मत सिंह पुत्र गिर्राज (मृतक)

1/2.1 – किरनदेई पत्नि हिम्मत सिंह

1/3– रनवीर सिंह पुत्र गिर्राज

1/4– अमर सिंह पुत्र गिर्राज (मृतक)

1/4.1– यशपाल सिंह पुत्र अमर सिंह

1/5– शकुन्तला पुत्री गिर्राज

1/6– रानी पत्नि वीरेन्द्र

1/7– चन्द्रपाल पुत्र वीरेन्द्र नवीरा गिर्राज

1/8– नरेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र वीरेन्द्र नवीरा गिर्राज

1/9– राजीव पुत्र वीरेन्द्र नवीरा गिर्राज

1/10– रवि पुत्र वीरेन्द्र नवीरा गिर्राज

1/11– बबीता उर्फ गुडिया पुत्र वीरेन्द्र

2. सूरजमल पुत्र शिवलाल

3. बृजेन्द्र सिंह पुत्र शिवलाल (मृतक)

3/1– दिगम्बर सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह

3/2– महेन्द्र पुत्र बृजेन्द्र सिंह

4. मदनलाल पुत्र अतर सिंह

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

5. भगवान सिंह पुत्र अतर सिंह जाति फौजदार निवासी ग्राम बहज तहसील डीग जिला भरतपुर।
6. मुस0 रेशम बेवा अतर सिंह (मृतक)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. दाताराम पुत्र भूरीसिंह (मृतक)

1/1— रमेश पुत्र दाताराम जाति फौजदार नि0 ग्राम बहज तह0 डीग जिला भरतपुर।

2. अमीचन्द पुत्र भूरीसिंह जाति फौजदार नि0 ग्राम बहज तह0 डीग जिला भरतपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय **दिनांकः—19.04.2018**

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बहज तहसील डीग में स्थित साबिक आराजी ख0नं0 2761 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा उनके कब्जेकाश्त एवं खातेदारी का रकबा है। दौराने बन्दोबस्त इसका हाल ख0नं0 2120/0.14 हैक्टे0 बनाया गया है। इस प्रकार साबिक इन्द्राज के मुकाबले हाल इन्द्राज क्षेत्रफल 0.12 हैक्टे0 रकबा कम प्रदर्शित किया गया है। गत ख0नं0 अप्रार्थीगण का 2763 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा था जिसे बदल कर बन्दोबस्त ने हाल ख0नं0 2112/0.38 कायम किया है। इस प्रकार 8 एयर रकबा प्रार्थीगण का है जिसे प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जावे। गैरसायलान का साबिक ख0नं0 2764 रकबा 1 बीघा 4

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

विस्वा था। इसे बन्दोबस्त ने बदल कर हाल ख0नं0 2117/0.23 बनाया है इसमें साबिक के मुकाबले प्रार्थीगण का रकबा 0.04 हैक्टे0 वेशी दर्ज कर दिया है। अतः ख0नं0 2117/0.23 से 0.04 हैक्टे0 रकबा प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की जवाबदेही के लिए जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद इत्तला समन उपस्थित अदालत नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की सुनवाई की गई। प्रार्थीगण द्वारा वर्णित तथ्यों की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्वत् 2029–2032 किता 2 एवं नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2039–2042, नक्शा किस्तवार, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 किता 2 तथा रिपोर्ट पटवारी पेश की। प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.03.2002 को स्वीकार किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2002 से क्षुब्ध होकर अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां अपील पेश की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23.02.2006 को अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आदेश के साथ किया गया कि दोनों पक्षों को दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए नियमानुसार सुनवाई के पश्चात् जो भी उचित हो विधिवत् आदेश पारित किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा पारित निर्णय के साथ यह पत्रावली न्यायालय हाजा में पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। दौराने सुनवाई पक्षकारान की मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिसान रिकॉर्ड पर लिये गये। अप्रार्थीगण दाताराम व अमीचन्द ने उपस्थित अदालत आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए इस आशय के साथ जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के साबिक ख0नं0 2761 बाकै ग्राम बहज प्रथम की कोई आराजी रकबा 0.8 हैक्टे0 को अप्रार्थीगण के नवीन ख0नं0 2112/0.38 में बन्दोबस्त हाल में नहीं मिलाया गया है और न ही प्रार्थीगण के ख0नं0 2761 की कोई आराजी रकबा 0.04 हैक्टे0 को अप्रार्थीगण के नवीन ख0 नं0 2117/0.23 में हाल बन्दोबस्त में मिलाया गया है और न ही प्रार्थीगण अपने साबिक ख0नं0 2761 के रकबा की कमी पूर्ति अप्रार्थीगण के खातेदारी के ख0नं0 2112/0.38 व 2117/0.23 में से करा पाने के अधिकारी हैं। क्योंकि अप्रार्थीगण का नवीन आराजी ख0नं0 2112 प्रार्थीगण के साबिक ख0नं0 2761 से बने नवीन नम्बर 2120 से पूरी तरह भिड़ा हुआ नहीं है बल्कि नवीन ख0नं0 2112 नवीन ख0नं0 2120 से केवल एक कोने पर भिड़ा हुआ है। जिससे प्रार्थीगण के साबिक ख0नं0 2761 का रकबा 8 एयर अप्रार्थीगण के ख0नं0 2112 में मिलने का सवाल ही नहीं उठता है और न ही मिल सकता है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण का नवीन ख0नं0 2117 प्रार्थीगण के नवीन ख0नं0 2120 से भिड़ा हुआ नहीं है बल्कि काफी दूर है। इसलिए प्रार्थीगण के ख0नं0 2761 का रकबा 4 एयर नहीं मिला है।

उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

अप्रार्थीगण के ख0नं0 2112 और 2117 में कोई रकबा 12 एयर अधिक दर्ज नहीं आया है। ख0नं0 2112 व 2117 के पास में ही अप्रार्थीगण के खातेदारी के अन्य नम्बर हैं, जिनमें बन्दोबस्त हाल में इतना ही रकबा कम दर्ज आया है। अप्रार्थीगण के ख0नं0 2116 जो ख0नं0 2117 से भिड़ा हुआ है, साबिक के मुकाबले 5 एयर कम दर्ज आया है एवं ख0नं0 2097 में 3 एयर कम दर्ज आया तथा ख0नं0 2098 में 2 एयर कम दर्ज आया है तथा नवीन ख0नं0 2105, 2106 व 2115 जिन्हें साबिक ख0नं0 2766/2–00 बीघा से बनाया है में 1 एयर कम दर्ज आया है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा किसी प्रकार से नहीं है, बल्कि अप्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। मुताबिक कानून अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही पक्षकारान की सहमति से ही दुरुस्त किया जा सकता है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र मुताबिक कानून मैन्टेलेबिल नहीं है और प्रार्थीगण को इस संबंध में नियमित वाद पेश करना चाहिए था। मौके की जो रिपोर्ट तहसील से आई है वह कतई गलत व मौके के विरूद्ध है जो विश्वसनीय नहीं है। अतः इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि ग्राम बहज तहसील डीग में स्थित साबिक आराजी ख0नं0 2761 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा उनके कब्जेकाश्त एवं खातेदारी का रकबा है। दौराने बन्दोबस्त इसका हाल ख0नं0 2120/0.14 हैक्टे0 बनाया गया है। इस प्रकार साबिक इन्द्राज के मुकाबले हाल इन्द्राज क्षेत्रफल 0.12 हैक्टे0 रकबा कम प्रदर्शित किया गया है। गत ख0नं0 अप्रार्थीगण का 2763 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा था जिसे बदल

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

कर बन्दोबस्त ने हाल ख0नं0 2112/0.38 कायम किया है। इस प्रकार 8 एयर रकबा प्रार्थीगण का है जिसे प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जावे। गैरसायलान का साबिक ख0नं0 2764 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा था। इसे बन्दोबस्त ने बदल कर हाल ख0नं0 2117/0.23 बनाया है इसमें साबिक के मुकाबले प्रार्थीगण का रकबा 0.04 हैक्टे0 वेशी दर्ज कर दिया है। अतः ख0नं0 2117/0.23 से 0.04 हैक्टे0 रकबा प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस नकल साबिक जमाबन्दी 2015–2018 फोटो प्रति नक्शा हाल व फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल पेश किये तथा बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थीगण के साबिक ख0नं0 2761 बाकै ग्राम बहज प्रथम की कोई आराजी रकबा 0.8 हैक्टे0 को अप्रार्थीगण के नवीन ख0नं0 2112/0.38 में बन्दोबस्त हाल में नहीं मिलाया गया है और न ही प्रार्थीगण के ख0नं0 2761 की कोई आराजी रकबा 0.04 हैक्टे0 को अप्रार्थीगण के नवीन ख0 नं0 2117/0.23 में हाल बन्दोबस्त में मिलाया गया है और न ही प्रार्थीगण अपने साबिक ख0नं0 2761 के रकबा की कमी पूर्ति अप्रार्थीगण के खातेदारी के ख0नं0 2112/0.38 व 2117/0.23 में से करा पाने के अधिकारी हैं। क्योंकि अप्रार्थीगण का नवीन आराजी ख0नं0 2112 प्रार्थीगण के साबिक ख0नं0 2761 से बने नवीन नम्बर 2120 से पूरी तरह भिड़ा हुआ नहीं है बल्कि नवीन ख0नं0 2112 नवीन ख0नं0 2120 से केवल एक कोने पर भिड़ा हुआ है। जिससे प्रार्थीगण के साबिक ख0नं0 2761 का रकबा 8 एयर अप्रार्थीगण के ख0नं0 2112 में मिलने का सवाल ही नहीं उठता है और न ही मिल सकता है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण का नवीन ख0नं0 2117 प्रार्थीगण के नवीन ख0नं0 2120

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

से भिड़ा हुआ नहीं है बल्कि काफी दूर है। इसलिए प्रार्थीगण के ख0नं0 2761 का रकबा 4 एयर नहीं मिला है।

अप्रार्थीगण के ख0नं0 2112 और 2117 में कोई रकबा 12 एयर अधिक दर्ज नहीं आया है। ख0नं0 2112 व 2117 के पास में ही अप्रार्थीगण के खातेदारी के अन्य नम्बर हैं, जिनमें बन्दोबस्त हाल में इतना ही रकबा कम दर्ज आया है। अप्रार्थीगण के ख0नं0 2116 जो ख0नं0 2117 से भिड़ा हुआ है, साबिक के मुकाबले 5 एयर कम दर्ज आया है एवं ख0नं0 2097 में 3 एयर कम दर्ज आया तथा ख0नं0 2098 में 2 एयर कम दर्ज आया है तथा नवीन ख0नं0 2105, 2106 व 2115 जिन्हें साबिक ख0नं0 2766/2–00 बीघा से बनाया है में 1 एयर कम दर्ज आया है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा किसी प्रकार से नहीं है, बल्कि अप्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। मुताबिक कानून अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही पक्षकारान की सहमति से ही दुरुस्त किया जा सकता है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र मुताबिक कानून मैन्टेलेबिल नहीं है और प्रार्थीगण को इस संबंध में नियमित वाद पेश करना चाहिए था। मौके की जो रिपोर्ट तहसील से आई है वह कतई गलत व मौके के विरूद्ध है जो विश्वसनीय नहीं है। प्रार्थीगण ने नवीन ख0नं0 2120 का मिलान क्षेत्रफल पेश किया है दोनों नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है और न ही हाल एवं गत नक्शा पेश किया है। मौके पर सड़क/रास्ता है। प्रार्थीगण ने सही तथ्यों को छुपाया है। प्रार्थीगण Clean Hand से नहीं आये। विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने कानूनी दृष्टांत RLW 2007(2) RJ पेज नम्बर 1202 लगायत 1207 एवं RBJ(18) 2011 पेज नम्बर 70 लगायत 75, RRT

उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

2015(1) पेज नम्बर 10 लगायत 13 एवं RBJ(24) 2017 पेज नम्बर 440 लगायत 443 उद्धित किये हैं। अतः इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर हमने मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार साबिक आराजी ख0नं0 2671 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा स्थित ग्राम बहज प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी थी, जिसका भूप्रबन्ध के दौरान हाल ख0नं0 2120 रकबा 0.14 हैक्टे0 बनाया गया है, जबकि साबिक रकबा के मुकाबले प्रार्थीगण की खातेदारी में 0.26 हैक्टे0 कायम किया जाना चाहिए था। प्रार्थीगण के कथनानुसार कम किये 0.12 हैक्टे0 में से 0.8 हैक्टे0 हाल ख0नं0 2112/0.38 व 0.04 हैक्टे0 हाल ख0नं0 2117/0.23 में शामिल कर दिया गया है। जो साबिक ख0नं0 2763/1–18 व 2764/1–4 से बने हैं। तहसीलदार डीग की ओर से पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि की गई है। साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2029–2034 व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2039–2042 के अनुसार आराजी साबिक ख0नं0 2761 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी थी। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2040 के अनुसार साबिक ख0नं0 2761 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा से हाल ख0नं0 2120 रकबा 0.14 हैक्टे0 कायम किया गया है जबकि 1 बीघा 12 विस्वा से 0.26 हैक्टे0 बनता है। इस प्रकार प्रार्थीगण के खाते में 0.12 हैक्टे0 भूमि कम अंकित की गई है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2040 के अनुसार साबिक ख0नं0 2763 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा से हाल ख0नं0 2112 रकबा 0.38 हैक्टे0 व साबिक ख0नं0 2764 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा से हाल ख0नं0 2117 रकबा 0.23 हैक्टे0 कायम किया गया है, जबकि 1 बीघा 18 विस्वा से

उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

0.30 हैक्टे0 व 1 बीघा 4 विस्वा से 0.19 हैक्टे0 कायम किया जाना चाहिए था। इस प्रकार हाल ख0नं0 2112 में 0.08 हैक्टे0 व ख0नं0 2117 में 0.04 हैक्टे0 भूमि अधिक अंकित की गई। तहसीलदार डीग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त अधिक आराजी साबिक ख0नं0 2761 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा से बनी है तथा प्रार्थीगण का ही उक्त आराजी पर कब्जाकाश्त है। इससे स्पष्ट है कि हाल ख0नं0 2112 रकबा 0.38 हैक्टे0 में से 0.08 हैक्टे0 व ख0नं0 2117 रकबा 0.23 हैक्टे0 में से 0.04 हैक्टे0 साबिक ख0नं0 2761 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा से बना है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी के हैं। उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि :–

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 साबित होने पर स्वीकार किया जाता है तथा आराजी ख0नं0 2112/0.38 हैक्टे0 में 0.08 हैक्टे0 व ख0नं0 2117/0.38 में से 0.04 हैक्टे0 स्थित ग्राम बहज प्रथम अप्रार्थीगण की खातेदारी से कम की जाकर प्राथीगण खातेदारी में अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार तहसीलदार डीग को हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उप खण्ड अधिकारी ★ डीग (भरतपुर) राज. ★